

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 24 सन 2022

अन्यान :-

1. रोहिताश पुत्र वृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :- २५/०९/२०२२

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370है में से 525/1537 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है


प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रोहित पुत्र वृजलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रोहिताश पुत्र वृजलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रोहिताश पुत्र वृजलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370है में से 525/1537 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र वृजलाल के स्थान पर रोहिताश पुत्र वृजलाल संशोधन करने के आदेश फरमाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370है में से 525/1537 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रोहित पुत्र बृजलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रोहिताश पुत्र बृजलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रोहिताश पुत्र बृजलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इरातिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860 हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370 है में से 525/1537 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र बृजलाल के स्थान पर रोहिताश पुत्र बृजलाल संशोधन करने के आदेश फरमावे।


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860 हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370 है में से 525/1537 हिस्सा भूमि खातेदार काशतकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र बृजलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रोहिताश पुत्र बृजलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र बृजलाल दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्वध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नहीं के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860 हैक् भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370 है में से 525/1537 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र बृजलाल दर्ज है के स्थान पर रोहिताश पुत्र बृजलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/ 982 दिनांक :- 31/03/2022

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 24/2022 अनवानी रोहिताश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. रोहिताश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 24/2022 अनवानी रोहिताश बनाम सरकार में दिनांक 25/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 155/59 की कुल 1.3860 हैक्ठु भूमि में से 17/63 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 169/59 की कुल 1.5370 हैक्ठु भूमि में से 525/1537 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रोहित पुत्र बृजलाल दर्ज है के स्थान पर रोहिताश पुत्र बृजलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर